

अनुदान संख्या 3 - पशुपालन एवं डेरी कार्य विभाग
GRANT No. 3-DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)					
राजस्व:	Revenue:				
प्रभारित-	Charged-				
पूरक	Supplementary		8,42,00	8,41,93	-7
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	910,47,00	910,50,00	809,65,17	-100,84,83
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				91,26,15
पूंजीगत:	Capital:				
स्वीकृत-	Voted-		20,22,00	1,69,66	-18,52,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				17,99,85

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)					
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष '3451'	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1158.00	969.65	883.67	-85.98
पु.	R.	-188.35			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष '2403'' पशु पालन	Major Head "2403" Animal Husbandry			
मू.	O.	17556.00		
पू.	S.	2.00	21162.67	20603.65
पु.	R.	3604.67		-559.02
मुख्य शीर्ष '2404'' डेरी विकास	Major Head "2404" Dairy Development			
मू.	O.	26200.00		
पू.	S.	1.00	23973.54	23868.39
पु.	R.	-2227.46		-105.15
मुख्य शीर्ष '2405'' मछली पालन	Major Head "2405" Fisheries			
मू.	O.	7728.00		
पु.	R.	-1503.34	6224.66	5997.18
				-227.48
मुख्य शीर्ष '2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	6710.00		
पु.	R.	-6710.00
				..
मुख्य शीर्ष '3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	30780.00		
पु.	R.	-1860.83	28919.17	28938.12
				+18.95

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष '3602''	Major Head "3602"			
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	Grants-in-aid to			
को सहायता अनुदान	Union Territory Governments			
मू.	O.	915.00		
			674.16	674.16
पु.	R.	-240.84		..

(I) 15813.25 लाख रु. का प्रावधान अठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 15340.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.15813.25 lakhs remained wholly unutilised under eighteen heads; of these Rs.15340.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष '2552'' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान"- 6710.00 लाख रु. - आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2552" - "Other Expenditure-Provision for projects/schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim" - Rs.6710.00 lakhs - due to reappropriation of part funds to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष '2403'' - "सूअरबाड़ा विकास - सूअरबाड़ा विकास के लिए बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता"- 200.00 लाख रु.; और

(B) Major Herad "2403" - "Piggery Development - Assistance to UT's without legislature for Piggery Development" - Rs. 200.00 lakhs; and

(गा) मुख्य शीर्ष '2405'' - "अन्य व्यय - राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड"- 500.00 लाख रु.।

(C) Major Head "2405"- "Other Expenditure - National Fisheries Development Board" - Rs.500.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-approval of the scheme.

(घा) मुख्य शीर्ष '3601'' -

(D) Major Head "3601" -

(क) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - डेरी विकास - डेरी विकास परियोजना - डेरी/कुक्कुट उद्यम पूंजी निधि"- 1050.00 लाख रु. - निधियों का प्रावधान मुख्य शीर्ष '2404' के स्थान पर गलती से इस शीर्ष के अंतर्गत किए जाने के कारण थे।

(ख) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पशु पालन - पशु और भैंस विकास - पशु बीमा के लिए राज्यों को सहायता"-4530.00 लाख रु. स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण थे।

(ग) "सूअरबाड़ा विकास"-

(i) "एकीकृत सूअरबाड़ा विकास के लिए राज्यों को सहायता"- 1000.00 लाख रु.; और

(ii) "जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का एकीकृत विकास"- 1350.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान योजना आयोग द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष '3451' - "सचिवालय - पशु पालन और डेरी विभाग" के अंतर्गत 274.33 लाख रु. की बचत (1158.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और सादगी के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष '2403' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - पशु संगरोध प्रमाणीकरण सेवाएं"- 116.06 लाख रु. की बचत (585.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सादगी के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) "पशु और भैंस विकास"-

(क) "केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म"- 318.31 लाख रु. की बचत (1716.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक कटौती किए जाने और साथ ही केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(a) "Grants for Central Plan Schemes - Dairy Development - Dairy Development Projects - Dairy/Poultry Venture Capital Fund"- Rs.1050.00 lakhs - due to inadvertent provision of funds under this head instead of Major Head "2404".

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Animal Husbandry - Cattle and Buffalo Development - Assistance to States for Livestock Insurance" - Rs.4530.00 lakhs - due to late approval of the scheme.

(c) "Piggery Development" -

(i) "Assistance to States for integrated Piggery Development" - Rs.1000.00 lakhs ; and

(ii) "Integrated Development of Small Ruminants" - Rs.1350.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-approval of the Scheme by the Planning Commission.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Animal Husbandry and Dairying"- saving of Rs.274.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1158.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and austerity measures.

(III) Under Major Head "2403" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Veterinary Services and Animal Health-Animal Quarantine Certification Services" - saving of Rs.116.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.585.00 lakhs) was due to austerity measures.

(B) "Cattle and Buffalo Development"-

(a) "Central Cattle Breeding Farms" - saving of Rs. 318.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1716.30 lakhs) was due to economic cut and also on account of slow progress of work by the Central Public Works Department.

- (ख) “केंद्रीय प्रशीतित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान, हेसरघट्टा”- 353.62 लाख रु. की बचत (763.45 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।
- (b) “Central Frozen Semen Production and Training Institute, Hesserghatta” – saving of Rs. 353.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.763.45 lakhs) was due to non-materialisation of institute .
- (गा) “भेड़ और ऊन विकास - भेड़ प्रजनन और विकास”- 221.74 लाख रु. की बचत (735.75 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित संगठनों द्वारा व्यय न किए जाने के कारण हुई।
- (C) “Sheep and Wool Development - Sheep Breeding and Development” – saving of Rs.221.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.735.75 lakhs) was due to non –incurring of expenditure by the concerned organisations .
- (IV) मुख्य शीर्ष ‘2404’ के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-
- (IV) Under Major Head “2404” - savings occurred under the following heads:-
- (का) “डेरी विकास परियोजनाएं”- (A) “Dairy Development Projects” -
- (क) “सहकारिताओं को सहायता के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को सहायता अनुदान”- 353.50 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी कर दिए जाने की वजह से विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।
- (a) “Grants-in-aid to N.D.D.B. for Assistance to Co-operative” – saving of Rs.353.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to less demand from different implementing agencies owing to reduction of provision at revised estimates stage.
- (ख) “गहन डेरी विकास कार्यक्रम”- 806.76 लाख रु. की बचत (3300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।
- (b) “Intensive Dairy Development Programme” – saving of Rs.806.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3300.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals and less demand from different implementing agencies.
- (खा) “दिल्ली दुग्ध योजना”- (B) “Delhi Milk Scheme” -
- (क) “अधिप्राप्ति”- 2553.08 लाख रु. की बचत (17292.53 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सादगी के उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (a) “Procurement” – saving of Rs.2553.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17292.53 lakhs) was due to austerity measures.
- (ख) “परिवहन”- 139.76 लाख रु. की बचत (595.70 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न संस्थानों के अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण हुई।
- (b) “Transport” – saving of Rs.139.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.595.70 lakhs) was due to less expenditure on maintenance/minor works of different institutes.
- (V) मुख्य शीर्ष ‘2405’ के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-
- (V) Under Major Head “2405” - savings occurred under the following heads:-

- (का) “समुद्री मछली पालन” - (A) “Marine Fisheries” -
- (क) “भारतीय मछली पालन सर्वेक्षण” - 395.90 लाख र. की बचत (3560.50 लाख र. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने और झारखंड की सरकार को फसल की कटाई के बाद की अवसंरचना की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण हुई। (a) “Fishery Survey of India” – saving of Rs.395.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3560.50 lakhs) was due to economy measures and non-sanctioning of projects of post harvest infrastructure of the Government of Jharkhand.
- (ख) “तट से दूर मछली पालन” - 288.19 लाख र. की बचत (1214.50 लाख र. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने और विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई। (b) “Off-shore Fisheries” – saving of Rs.288.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1214.50 lakhs) was due to economy measures and less demand from different implementing agencies.
- (ग) “अवतरण और लंगर डालने की सुविधाएं” - 399.40 लाख र. की बचत (900.00 लाख र. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई। (c) “Landing and Berthing Facilities” – saving of Rs.399.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to less demand from different implementing agencies.
- (खा) “विस्तार और प्रशिक्षण - केंद्रीय मछली पालन समुद्री एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान” - 149.27 लाख र. की बचत (895.50 लाख र. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपायों के कारण हुई। (B) “Extension and Training –Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training” - saving of Rs.149.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.895.50 lakhs) was due to economy measures.
- (VI) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान” के अंतर्गत - बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:- (VI) Under Major Head “3601” - “Grants for Central Plan Schemes” - savings occurred under the following heads:-
- (का) “पशु पालन - चारा और चरागाह विकास - चारा और चरागाह उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम” - 187.61 लाख र. की बचत (1350.00 लाख र. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और (A) “Animal Husbandry - Feed and Fodder Development - Feed and Fodder Production Enhancement Programme” - saving of Rs.187.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1350.00 lakhs); and
- (खा) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पशु पालन - पशु और बैस विकास - पशुओं की गणना करने के लिए राज्यों को सहायता” - 180.00 लाख र. की बचत (420.00 लाख र. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई। (B) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Animal Husbandry - Cattle and Buffalo Development - Assistance to States in conduct of Livestock Census” - saving of Rs.180.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.420.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage.

(गा) “पशु पालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - पद और मुख रोग नियंत्रण कार्यक्रम”- 300.00 लाख रु. की बचत (995.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधि का अपवर्तन पशु रोग नियंत्रण स्कीम में किए जाने के कारण हुई।

(घा) “कुक्कुट विकास - कुक्कुट विकास के लिए सहायता”- 157.40 लाख रु. की बचत (2400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी कर दिए जाने के कारण हुई।

(VII) दो शीर्षों के अंतर्गत 115.65 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत और 79 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4687.99 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2005 और मार्च, 2006 में 3.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2403”-

(क) “पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - राष्ट्रीय पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र”- 200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 195.03 लाख रु. था।

(ख) “पशु और भैंस विकास - पशु बीमा को सहायता”- 2371.14 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2370.14 लाख रु. था।

(ग) “चारा और चरागाह विकास”-

(i) “चारा उत्पादन और प्रदर्शन के लिए क्षेत्रीय केंद्र”- 186.85 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 165.97 लाख रु. था।

(ii) “चारा फसल संबंधी मिनकिट परीक्षण कार्यक्रम”- 350.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 349.74 लाख रु. था।

(C) “Animal Husbandry - Veterinary Services and Animal Health - Foot and Mouth Disease Control Programme” - saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.995.00 lakhs) was due to diversion of fund to the scheme of Animal Disease Control.

(D) “Poultry Development – Assistance for Poultry Development”- saving of Rs.157.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2400.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage.

(VII) Under two heads savings of Rs.115.65 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 19 percent and 79 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.4687.99 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of Rs.3.00 lakhs in August, 2005 and March, 2006 - under the following major heads:-

(A) Major Head “2403” -

(a) “Veterinary Services and Animal Health – National Veterinary Biological Products Quality Control Centres” – Rs.200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.195.03 lakhs.

(b) “Cattle and Buffalo Development - Assistance to Livestock Insurance” – Rs.2371.14 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2370.14 lakhs.

(c) “Fodder and Feed Development” –

(i) “Regional Stations for Forage Production and Demonstration.”– Rs.186.85 lakhs. Actual excess, however, was Rs.165.97 lakhs.

(ii) “Minkit Testing Programme on Fodder Crops”– Rs.350.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.349.74 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष '2404' - 'डेरी विकास परियोजनाएं- डेरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को सहायता अनुदान'- 1580.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1579.00 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष '2403'-

(क) "पशु और भैंस विकास - पशु और भैंस प्रजनन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना"- 692.71 लाख रु. का अधिक व्यय (8350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों को निधियां जारी किए जाने के लिए मुख्य शीर्ष '2552' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "कुक्कुट विकास - केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन"- 495.49 लाख रु. का अधिक व्यय (448.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा निधियों का प्रावधान न किए जाने की वजह से निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष '3601'-

(क) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान"-

(i) "पशु पालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य केंद्रीय रोग नैदानिक रैफरल प्रयोगशालाएं"- 250.00 लाख रु. का अधिक व्यय (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) "डेरी विकास - डेरी विकास परियोजनाएं"-

(1) "गहन डेरी विकास कार्यक्रम"- 497.86 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ से

(B) Major Head "2404" - "Dairy Development Projects - Dairy/Poultry Venture Capital Fund Grant-in-aid to NABARD" - Rs.1580.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1579.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head "2403"-

(a) "Cattle and Buffalo Development - National Project for Cattle and Buffalo Breeding" - excess of Rs.692.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 8350.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for release of funds to North Eastern Region including Sikkim.

(b) "Poultry Development - Central Poultry Development Organisation" - excess of Rs.495.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.448.50 lakhs) was due to additional requirement of funds owing to non-provision of funds by the Planning Commission.

(B) Major Head "3601" -

(a) "Grants for Central Plan Schemes" -

(i) "Animal Husbandry - Veterinary Services and Animal Health - Central Disease Diagnostic Referral Laboratories" - excess of Rs.250.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs); and

(ii) "Dairy Development-Dairy Development Projects" -

(1) "Intensive Dairy Development Programme" - excess of Rs.497.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head

संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(2) "गुणवत्ता वाले और स्वच्छ दूध के लिए अवसंरचना का सुदृढीकरण"- 1420.46 लाख रु. का अधिक व्यय (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम में विभिन्न राज्य सरकारों से अधिक मांगें प्राप्त होने और साथ ही निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान"-

(i) "पशु पालन - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य"-

(1) "पशुप्लेग उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना"- 120.00 लाख रु. का अधिक व्यय (425.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(2) "पशु रोग नियंत्रण"- 2286.00 लाख रु. का अधिक व्यय (4800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों से अधिक मांगें प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ii) "मछली पालन - अंतर्देशीय मछली पालन - अंतर्देशीय जलसंवर्धन और मछली पालन का विकास"- 420.50 लाख रु. का अधिक व्यय (2145.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(iii) "मछली पालन - समुद्री मछली पालन"-

"2552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(2) "Strengthening Infrastructure for Quality & Clean Milk" -excess of Rs.1420.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs) was due to more demands received from different state Governments in the Scheme and also on account of re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –

(i) "Animal Husbandry - Veterinary Services and Animal Health" –

(1) "National Project on Rinderpest eradication"- excess of Rs.120.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.425.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(2) "Animal Disease Control" - excess of Rs.2286.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4800.00 lakhs) was due to more demands received from different State Governments under the Scheme.

(ii) "Fisheries - Inland Fisheries – Development of Inland Aquaculture and Fisheries" - excess of Rs.420.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2145.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(iii) "Fisheries - Marine Fisheries" –

- (1) "समुद्री मछली पालन अवसंरचना का विकास और पश्च परिणाम"- 440.25 लाख रु. का अधिक व्यय (2550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (2) "मछुआरों का राष्ट्रीय कल्याण"-919.99 लाख रु. का अधिक व्यय (2110.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (3) "मुख्य और लघु पत्तनों पर मछली पकड़ने के लिए बंदरगाह सुविधाएं"- 446.72 लाख रु. का अधिक व्यय (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय स्कीमों में राज्य सरकारों से निधियों की अधिक मांगें प्राप्त होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - मछली पालन - समुद्री मछली पालन - मुख्य और लघु पत्तनों पर मछली पकड़ने वाले जलयानों के लिए अवतरण और लंगर डालने की सुविधाएं"- 200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मछली पकड़ने के लिए बंदरगाह के निर्माण के लिए पांडिचेरी की सरकार से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत 282.72 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 48 प्रतिशत से 190 प्रतिशत तक था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

- (1) "Development of Marine Fisheries Infrastructure and Post Harvest" - excess of Rs.440.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2550.00 lakhs);
- (2) "National Welfare of Fishermen" - excess of Rs.919.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2110.00 lakhs); and
- (3) "Fishing Harbour Facilities at Major and Minor Ports" - excess of Rs.446.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to more demand of funds from State Governments in the Schemes.

(C) Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Fisheries - Marine Fisheries - Landing and Berthing Facilities for Fishing Crafts at Major and Minor Ports" - excess of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to more demand from Government of Pondicherry for construction of fishing harbour.

(III) Under four heads excess of Rs.282.72 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 48 percent to 190 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष Head	
मुख्य शीर्ष '4405' मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4405" Capital Outlay on Fisheries
मू.	O. 2022.00
पु.	R. -1799.85

222.15 169.66 -52.49

(I) 1670.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1665.00 लाख रु. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) “समुद्री मछली पालन - गहरे समुद्र में मछली पालन” - 1150.00 लाख रु. - न्यायालय के आदेश द्वारा सुविधा केंद्र के निर्माण पर स्थगन लगा होने के कारण थे।

(खा) “विस्तार और प्रशिक्षण - केंद्रीय मछली पालन समुद्री एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान” - 515.00 लाख रु. - मछली पकड़ने वाले जलयानों की खरीद न किए जाने के कारण थे।

(II) “समुद्री मछली पालन - भारतीय मछली पालन सर्वेक्षण” के अंतर्गत 176.25 लाख रु. की बचत (317.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.1670.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.1665.00 lakhs accounted for under the following heads:-

(A) “Marine Fisheries - Deep Sea Fisheries” - Rs.1150.00 lakhs - due to stay of construction facility centre by the court order.

(B) “Extension and Training - Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training” - Rs.515.00 lakhs - due to non-purchase of fishing vessels.

(II) Under “Marine Fisheries - Fishery Survey of India” - saving of Rs.176.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.317.00 lakhs) was due to slow progress of work by the Central Public Works Department.